Office of District Magistrate, Meerut

To,

The Registrar (General),
National Green Tribunal
Principal bench
New Delhi

No. 1243/G/OA-736/Chandrashekhar/2024. Date 23-1-24.

Subject: Report in compliance of order dated 10-11-2023 passed by Hon'ble NGT in MA No 61/2023(OA No 736/2018) titled by Chandra Shekhar Gupta Versus State of Uttar Pradesh.

Sir,

In the above noted case Hon'ble Tribunal was pleased to pass the following direction-

"..........4. On perusal of the report by the District Magistrate, Meerut, we find that nothing has been disclosed about the genuineness of the map which has been placed on record, if the map is fabricated or the applicant has produced a forged map to make out a case for execution then the District Magistrate should clearly stated in the report.

5. The District Magistrate, Meerut present in person seeks two weeks time to look into the issue and file a further report in this regard.

6. List the matter on 30.01.2024."

In compliance of the above said order, the under signed referred the matter again to Meerut Development Authority vide letter dt. 04/11/2023 for initiating the required action for constructed building against the land use. In reply, dt.15/12/2023 MDA has submitted that the map produced by the petitioner is not sanctioned by the department and the said land is not demarcated as park or open land in the master plan 2021 of MDA. The land has been developed as an industrial area approx 20-25 year old against which MDA has initiated proceedings under Uttar Pradesh Nagar Niyojan evam Vikas Adhiniyam Act-1973(as amended).**(Annexure-1)**

P.T.O.

Further for clarifying this issue, a meeting was called for on dt.23/12/2023 inviting the petitioner and MDA officials. The petitioner Shri Chandra Shekhar Gupta presented the map and after discussion it was settled to enquire the records **(Annexure-2)** on following points

1. Was the numbering of the approved layout plan in the year 1982 done in the same manner? Information should be submitted regarding the layout plan number-61 whether the said map has been approved or not?
2. If layout plan no. 61 has been approved, then details should be presented regarding layout plan no. 60 and 62 (year 1982).
3. Details of layout plan approved on layout plan no-61 should be presented.

In the reply of the same, MDA produced its records incorporating despatch details and numbering method for sanctioned layouts. On perusal of records **(Annexure-3)** it is concluded as under -

1. According to the records/map register available in the authority, the approval number of the layout plan was provided in 04 digits. For easy reference, a photocopy of the approved layout plan number-5026 of plot number-A-167, validity period from 25.01.1982 to 24.01.1985, is attached. Thus, the layout plan number - 61 year 1982 does not conform to the sanctioned type of number marked in the year 1982 i.e. (four digits).
2. According to the available records, layout plan No. 60 and 62 were not approved in the year 1982.
3. Layout plan number-61 year 1982 is not approved in the records available.

In the light of above facts, under signee is of the opinion that the Meerut Development Authority has not approved the questioned layout plan.

The above report is being submitted for kind perusal and consideration before Hon'ble Tribunal in the matter.

With regards,

Enclosure : As above

Yours faithfully,

22/1/2024

(Deepak Meena)
District Magistrate,
Meerut

Annexure-1

मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ।

पत्रांक : 356 /प्रवर्तन खण्ड जोन–ए/23 दिनांक ।15-12-23

प्रेषक,

सचिव,
मेरठ विकास प्राधिकरण,
मेरठ।

सेवा मे,

जिलाधिकारी,
मेरठ।

विषयः– **मा0 एन0 जी0 टी0 द्वारा पारित आदेश दिनांक 16.08.2023 के क्रम में श्री चन्द्रशेखर गुप्ता पुत्र श्री किशन गुप्ता निवासी–103, गली नं0–3 साई पुरम दिल्ली रोड, मेरठ के प्रत्यावेदन दिनांक 22.08.2023 के निस्तारण आदेश दिनांक 04.11.2023 के सम्बन्ध में।**

महोदय,

कृपया अपने पत्र 4017/जे0ए0 प्रथम/प्रत्यावेदन चन्द्र शेखर गुप्ता/2023 दिनांक 04.11.2023 के क्रम में श्री चन्द्र शेखर गुप्ता पुत्र श्री किशन गुप्ता निवासी–103, गली नं0–3, साईपुरम दिल्ली रोड, मेरठ का प्रत्यावेदन दिनांक 21.04.2023 एवं दिनांक 22.08.2023 मा0 एन0जी0टी0 के आदेश दिनांक 20.04.2023 एवं दिनांक 16.08.2023 के अनुपालन में सचिव, मेरठ विकास प्राधिकरण को इस आशय से प्रेषित है कि उक्त प्रकरण में भू–उपयोग के विपरीत निर्माण के विरूद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया हैं।

उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि प्राधिकरण द्वारा पूर्व मे प्रेषित पत्र संख्या 331/प्र0ख0 जोन–ए दिनांक 22.05.2023 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करे, जिसमें आख्या महोदय के समक्ष प्रस्तुत की गयी थी। पुनः कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट के पत्रांक 1485/जे0ए0 प्रथम/15–मिस/एन0जी0टी0 2023 दिनांक 16.06.2023 के क्रम में दिनांक 17.06.2023 को महोदय के समक्ष सुनवाई के दौरान शिकायतकर्ता श्री चन्द्रशेखर द्वारा मेरठ विकास प्राधिकरण से स्वीकृत तलपट मानचित्र संख्या 61/एम0डी0ए0 दिनांक 30.12.82 से 29.12.85 की छायाप्रति प्रस्तुत की गयी। शिकायतकर्ता द्वारा प्रस्तुत तलपट मानचित्र संख्या 61/एम0डी0ए0 साईपुरम दिल्ली रोड, मेरठ प्राधिकरण से स्वीकृत नही है।

यहा यह भी अवगत कराना है कि शिकायतकर्ता द्वारा उल्लेखित स्थल मेरठ महायोजना 2021 के अन्तर्गत पार्क/ओपन क्षेत्र नही है एवं तलपट मानचित्र स्वीकृत न होने के कारण शिकायतकर्ता द्वारा उल्लेखित स्थल पर कोई क्षेत्र किसी विशेष प्रयोजन उदाहरण पार्क/ओपन क्षेत्र हेतु आरक्षित नही है। उक्त के आलोक में शिकायतकर्ता का कथन तथ्यों से परे है। प्रश्नगत स्थल पर मेरठ महायोजना 2021 मे इंगित भू–उपयोग यथा आवासीय के विरूद्ध स्थल पर साईपुरम कॉलोनी नाम से औद्योगिक क्षेत्र विकसित हो गया है, जिस पर लघुउद्योग स्थापित कर औद्योगिक इकाई चालू हैं, जो मेरठ महायोजना 2021 की नीतियों के विरूद्ध है।

इस प्रकार मौके पर भू–उपयोग के विपरीत निर्माण लगभग 20–25 वर्ष पुराना औद्योगिक क्षेत्र निर्मित है। साईपुरम निवासीयों द्वारा भू–उपयोग के विपरीत किये गये निर्माण/औद्योगिक संचालन करने पर प्राधिकरण द्वारा उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम–1973 (यथा संशोधित) की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए प्रभावी प्रवर्तन की कार्यवाही की जा रही है।

कृपया उपरोक्त से अवगत होने का कष्ट करे।

सचिव,
मेरठ विकास प्राधिकरण,
मेरठ।

Annexure-2

कार्यालय जिलाधिकारी, मेरठ

पत्रांक– 1119/G/OA-736/चन्द्रशेखर/2023 दिनांक– 27-12-23

मा0एनजीटी प्रकरण
समयबद्ध

प्रेषक,

जिलाधिकारी,
मेरठ।

सेवा में,

सचिव,
मेरठ विकास प्राधिकरण,
मेरठ ।

विषय– मा0राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक–16/3/2023 के कम में श्री चन्द्रशेखर गुप्ता पुत्र श्री किशन गुप्ता निवासी 103, गली नं0–3, सांईपुरम, दिल्ली रोड, मेरठ के प्रत्यावेदन दिनांक–22/08/2023 के निस्तारण आदेश दिनांक–04/11/2023 के संबंध में ।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अपने पत्रांक–356/प्रवर्तन खण्ड जोन–ए/23 दिनांक–15/12/2023 का संदर्भ ग्रहण करें। प्रश्नगत वाद पब्लिक पार्क, सांईपुरम, दिल्ली रोड, मेरठ में अतिक्रमण के संबंध में है एवं मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित ओ0ए0 संख्या–736/2018, एम0ए0न0–61/2023 में विचाराधीन है। उक्त आदेश के अनुपालन में दिनांक–23/12/2023 को अधोहस्ताक्षरी द्वारा बैठक आहूत की गयी जिसमें मेरठ विकास प्राधिकरण के ओ0एस0डी0 सहित सहायक अभियंता एवं एप्लीकेंट श्री चन्द्रशेखर गुप्ता द्वारा प्रतिभाग किया गया। बैठक में वादी श्री चन्द्रशेखर गुप्ता द्वारा तलपट मानचित्र संख्या–61 वर्ष 1982 प्रस्तुत किया गया तथापि एमडीए द्वारा उक्त मानचित्र एमडीए से स्वीकृत न होना सूचित किया गया। उपरोक्त के दृष्टिगत निम्न बिन्दुओं पर आख्या वांछित हैं–

1. क्या वर्ष 1982 में स्वीकृत तलपट मानचित्र की नंबरिंग इसी प्रकार से की जाती थी? तलपट मानचित्र संख्या–61 के संबंध में सूचना प्रस्तुत की जाये कि उक्त मानचित्र स्वीकृत हुआ है अथवा नहीं ?
2. यदि तलपट मानचित्र संख्या–61 स्वीकृत हुआ है तो तलपट मानचित्र संख्या–60 व 62 (वर्ष 1982) के संबंध में विवरण प्रस्तुत किया जाये।
3. तलपट मानचित्र संख्या–61 पर कौन सा नक्शा स्वीकृत है, का विवरण प्रस्तुत किया जाये।

अतः अपेक्षित है कि उक्त वाद में पारित आदेश के अनुपालन में उक्त बिन्दुवार सूचना एक सप्ताह के भीतर अधोहस्ताक्षरी को प्रस्तुत की जाये जिससे कि मा0एनजीटी को तदानुसार सूचना/आख्या से अवगत कराया जा सके।

(दीपक मीणा)
जिलाधिकारी, मेरठ

प्रतिलिपि–उपाध्यक्ष, मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

जिलाधिकारी, मेरठ 27/12/2023

Annexure-3

मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ।

पत्रांक : 34/ जोन- ए- मा. अनु/24. दिनांक : 18-1-24

प्रेषक

सचिव,
मेरठ विकास प्राधिकरण
मेरठ।

सेवा में,

जिलाधिकारी
मेरठ

विषयः–मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 16.03.2023 के क्रम में श्री चन्द्रशेखर गुप्ता पुत्र श्री किशन गुप्ता निवासी 103, गली नं0–3, साईपुरम दिल्ली रोड़ मेरठ के प्रत्यावेदन दिनांक 22.08.2023 क निस्तारण आदेश दिनांक 04.11.2023 के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक स्वकीय पत्रांक संख्या–1119/G/OA-736/चन्द्रशेखर/2023 दिनांक 27.12.2023 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। जिसमें आपके द्वारा तलपट मानचित्र संख्या–61 वर्ष 1982 की स्वीकृति/अस्वीकृति के सम्बन्ध में तीन बिन्दुओं पर आख्या प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया है।

1. प्राधिकरण में उपलब्ध अभिलेख/मानचित्र रजिस्टर के अनुसार मानचित्र की स्वीकृति संख्या 04 अंकों में होती थी। सुलभ सन्दर्भ हेतु भूखण्ड संख्या–ए–167 के स्वीकृत मानचित्र मानचित्र संख्या–5026 वैधता तिथि 25.01.1982 से 24.01.1985 तक की छायाप्रति संलग्न की जा रही है। इस प्रकर बिन्दु में उल्लेखित मानचित्र संख्या–61 वर्ष 1982 अंकित स्वीकृत संख्या के प्रकार अर्थात (चार अंकों) के अनुरूप नही है।
2. उपलब्ध अभिलेखों के अनुसार मानचित्र संख्या–60 व 62 वर्ष–1982 में स्वीकृत नहीं है।
3. मानचित्र संख्या–61 वर्ष 1982 में उपलब्ध अभिलेख में स्वीकृत नही है।

आख्या सादर प्रेषित है।

[signature] 18/1/24

सचिव,
मेरठ विकास प्राधिकरण,
मेरठ।

[signatures]

O/C

[signature] 19/01/24

उन्नु. E.K.K लिपिक को प्राप्त कराएं 19-01-24

57/113	3239	[illegible]	20/5/80
58/123	3328	[illegible]	2/4/80
59/124	3316	[illegible]	14/4/80
60/125	3331	[illegible]	3/4/80
61/125	5	[illegible]	
3 62/127	3330	[illegible]	[illegible]/80
3 63/129	3362	[illegible]	10/4/80
3 64/130	3360	[illegible]	10/4/80
3 65/131	3379	[illegible]	14/4/79
3 66/136	3409	[illegible]	16/4/80
3 ?/130	3411	[illegible]	18/4/80

मेरठ [illegible] प्राधिकरण
मेरठ
मानचित्र सं० 5026
दिनांक 25/1/82 से दिनांक 24/1/85 तक के
स्वीकृत, [illegible]
प्र० [illegible] सचिव

8. THE CHAUKHATS OF DOORS & WINDOWS SHALL BE OF SAL WOOD. THE SECTION OF CHAUKHAT SHALL BE [illegible]

PROPOSED PLAN OF A HOUSE [illegible]
BRIGADIER [illegible]
NO. A-[illegible] DEFENCE COLONY [illegible]

SCALE

ASHOK KUMAR GUPTA
B.ARCH., MIA, FIIIA
REGISTERED ARCHITECT
M.D.A. MEERUT. Reg. No. [illegible]